मुद्रण तथा लेखन–सामग्री विभाग

मध्यप्रदेश मुद्रण तथा लेखन–सामग्री

(चतुर्थ श्रेणी अलिपिक वर्गीय)

सेवा भर्ती नियम, 1995

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 1995 में प्रकाशित

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 1995

क्र. एफ. 10-9-सात-शाखा-6-92.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की स्थापना में चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) की सेवा में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासन मुद्रण तथा लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा नियम, 1995 है.

2. **परिषाभाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''अनुसूचित जाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसके भीतर के समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, का सदस्य ;

(2) ''अनुसूचित जनजाति का सदस्य'' से अभिप्रेत है किसी जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसके भीतर के समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, का सदस्य;

(3) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

3. **प्रयुक्ति.**—ये नियम, अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतनमान, पदों के लिये भरती की पद्धति, आयु सीमा तथा उक्त पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं. अनुसूची में वर्णित पदों की इकाई स्तर, पद, पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा भरा जायगा. ''इकाई स्तर'' का तात्पर्य यह है कि यदि एक स्थान पर एक से अधिक कार्यालय हो तो इन सभी को एक ही इकाई माना जावेगा, जैसा भोपाल में प्रधान कार्यालय, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय तथा लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार हैं अतएव उन्हें एक ही इकाई माना जावेगा.

5. **व्यवृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुकम्पा नियुक्तियों, विकलांग व्यक्तियों तथा शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के एक सदस्य के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायत को प्रभावित नहीं करेगी.

अनुसूची
(नियम दो देखिये)

स. क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति सीधी भरती द्वारा या पदोन्नति द्वारा स्थानापन्न द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम	केवल सीधी भरती के लिए आवश्क शैक्षणिक अर्हता कार्य का अनुभव	परीवीक्ष परीक्षण यदि कोई हो की अवधि	क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता व कार्य का अनुभव लागू होंगे	पदोन्नति / स्थानान्तरण द्वारा भरती के मामले में वह पद जिससे पदोन्नति/ स्थानान्तरण किया जावेगा	कालम क्र. (11) के पद के कर्मचारी को कालम 2 के पद पर पदोन्नति हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	बारमेन	4	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	950-20-1150-25-1400.	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	आग्जीलरी (जो लाइनो कक्ष में कार्यरत हो जहां बारमैन कार्य करता है).	3 वर्ष	जैसा कि नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री म. प्र. द्वारा समय-समय पर गठित की जाये).
2	लिथो प्रेस मैन	5	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	950-20-1150-25-1400.	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	लिथो प्रेस मैन असिस्टेंट	3 वर्ष	तदैव
3	मशीन असिस्टेंट	10	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	825-15-900 20-1220.	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	इंकर/आग्जीलरी जो मुद्रण कक्ष में कार्यरत हो.	3 वर्ष	तदैव
4	डार्करूम असि.	5	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	825-15-900 20-1220.	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	आग्जीलरी (जो प्रोसेस कक्ष में कार्यरत हो).	3 वर्ष	तदैव
5	आग्जीलरी	115	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	775-12-871 15-1036	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	भृत्य, इन्फीरियर, पेकर, हम्माल, इश्यु चेकर. क्लीनर, माली.	3 वर्ष	तदैव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	इंकर	204	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	775-12-871-15-1036	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	तदैव	3 वर्ष	जैसा कि नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री. म. प्र. द्वारा समय-समय पर गठित की जाये).
7	लिथो प्रेस मेन. असि.	7	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	775-12-871-15-1036	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	तदैव	3 वर्ष	तदैव
8	पेस्टिंगबाय	25	चतुर्थ श्रेणी (अलिपिक वर्गीय).	775-12-871-15-1036	पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत.	-	-	2 वर्ष	-	भृत्य, इम्फीरियर, पेकर, इश्युचेकर, क्लीनर, माली, हम्माल.	3 वर्ष	तदैव

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 1995

क्र. एफ.-10-9-सात-शाखा-6-92.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-10-9-सात-शाखा-6-92, दिनांक 4 मार्च 1995 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श. ह. कान्ट्रेक्टर, उपसचिव.

Bhopal, the 4th March 1995

No. F. 10-9- VII-S-6-92.—ln exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, for regulating the method and field of recruitment of Class-IV Services (Non-Ministerial) on the establishment of Government Printing and Stationery Department, Madhya Pradesh, namely:—

1. **Short title.—**These rules may be called the Madhya Pradesh Government Printing and Stationery, Class-IV Services (Non-Ministerial) Recruitment Rules, 1995.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Member of Schedule Caste" means a member of any caste, race or tribal or part of or group within a caste, race or tribal specified as Scheduled Caste with respect of the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(2) "Member of Scheduled Tribe" means a member of any Tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under ArticIe 342 of the Constitution of India;

(3) " Schedule" means the Schedule appended to these rules.

3. **Applitation.—** These rules shall apply to every member of the service in respect of the posts specified in column (2) of the Schedule.

4. **Number of posts classification and Scale of Pay**.—The number of posts their classification, scale of pay attaehed thereto, the method of recruitment to the posts, age limit and other conditions of service relating to the said posts shall be as specified in the schedule. The posts mentioned in the Schedule will be filled in by promotion/appointment on unit level. "Unit Level" means that if more than one office is located at any particular place, it shall be treated as one single unit. For example three different offices *viz.* Office of the Controller, Government Printing and Stationery, Government Central Press and Stationery and Publication Depot are located at Bhopal, hence these offices shall constitute one unit.

5. **Saving..—**Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, compassionate appointment and handicapped persons and a member of the family of a Government servant who has died in harness in accordance with the orders rsissued by the State Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(See, Rule-2)

S. No.	Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	For Direct recruitment Age limit Min.	Educational qualification required and experience of work	Period of Prob./ Trial if any	whether Age and Educational prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	In Case of recruitment by promotion/ transfer grades from which promotion/ transfer to be made	Minimum Service essential on the post shown in col. (11) for eligibility for promotion on the post Shown in col. (2)	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Barman	4	Class-IV Non-Ministerial.	950-20-1150-25-1400	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Auxillary who has attached in Lino Section where Barman works.	3 Years	As constituted by Controller, Printing and Stationery, Madhya Pradesh from time to time.
2	Litho Press Man	5	Class-IV Non-Ministerial.	950-20-1150-25-1400	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Litho Press Man Assistant.	3 Years	-do-
3	Machine Asstt.	10	Class-IV Non-Ministerial. .	825-15-900-20-1220	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Inker/Auxillary who have worked in Printing Section.	3 Years	-do-
4	Dark Room Assistant.	5	Class-IV Non-Ministerial.	825-15-900-20-1220..	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Auxillary who has attached in Offset Section.	3 Years	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Auxillary	115	Class-IV Non-Ministerial.	775-12-871-15-1036.	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Peon, Inferior, Packer, Hammal, Issue Checker, Cleaner and Gardner.	3 Years	As constituted by Controller, Printing and Stationery, Madhya Pradesh from time to time.
6	Inker	204 .	Class-IV Non-Ministerial.	775-12-871-15-1036.	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	Peon, Inferior, Packer, Hammal, Issue Checker, Clener and Cardner.	3 Years	-do-
7.	Litho Press Man Assistant.	7	Class-IV Non-Ministerial.	775-12-871-15-1036.	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	-do-	3 Years	-do-
8.	Pasting Boy	25	Class-IV Non-Ministerial.	775-12-871-15-1036.	By Promotion 100 percent.	-	-	Two Years	-	-do-	3 Years	-do-

Note.— The posts which are to be filled in by promotion the same percentage as prescribed in the case of dirct recruitment i.e. 16% and 20% have been reserved for Shedule Castes and Scheduled Tribes Candidates respectively.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. H. CONTRECTOR, Dy Secy.